प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2025

विषय:- जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गुलाब सिंह पुत्र श्री जागेश्वर सिंह, निवासी जनपद-बॉदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गुलाब सिंह पुत्र श्री जागेश्वर सिंह, थरथुवा, थाना-बबेरू, जनपद-बॉदा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.04.2010 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुँआ में फेक कर बालक किशन ढाई वर्ष की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-204/2010 में भा0द0वि0 की धारा-364/34, 302/34, 201/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-5, बाँदा के आदेश दिनांक 06.08.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की 57 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा दिनांक 15.07.2022 तक अपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 11 दिन की भोगी गयी सजा तथा बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गुलाब सिंह (बन्दी संख्या-237/2018) पुत्र श्री जागेश्वर सिंह, निवासी जनपद-बॉदा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-958/2025/1955(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बॉदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बांदा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।